विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री शाहनवाज खान, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–17 का उत्तरालेख्य

प्रश्न	उत्तर
17–(क) क्या पंचायतीराज मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का बजट न बढ़ाये जाने के उपरान्त भी पंचायत प्रतिनिधियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां लगा दी गई है जिसके कारण ग्राम पंचायतों का विकास बाधित हो रहा है?	जी नहीं।
(ख) क्या ग्राम पंचायतों का बजट बढ़ाने का कोई विचार है अथवा नहीं?	जी नहीं।
(ग) यदि हां, तो कब तक?	प्रश्न नही उठता।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	शासनादेश संख्या–1751/33–3–2020–38/2020, दिनांक 18.08.2020 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग एवं शासनादेश संख्या–1717/33–3–2021–33/2020 दिनांक 07.10.2021 द्वारा 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त धनराशि के आवंटित एवं उपयोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रसारित किए गए हैं। उक्त शासनादेशों के अनुसार निकायों यथा–जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य धनराशि का बंटवारा 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा। तत्पश्चात् पंचायतीराज संस्थाओं हेतु धनराशि का जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत जनसंख्या (2011) एवं 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। उक्त के उपरान्त धनराशि का बंटवारा ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के मध्य 90:10 के सिद्धान्त पर 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या एवं 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या को भार देते हुए किए जाने के निर्देश हैं। उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ही धनराशि आवंटन पंचायतीराज संस्थाओं को किया जाता है जिसमें विकास कार्यों हेतु ग्राम पंचायतों का बजट बढ़ाने का कोई विचार अथवा बजट आवंटित किए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्रकियाधीन नही है।

(ओम प्रकाश राजभर)
मंत्री,
पंचायतीराज विभाग।